-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 03.09.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध शस्त्रों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 03.09.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस को गश्त एवं चेकिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि राजघाट रोड फातिमा इण्टर कालेज के पास एक व्यक्ति खडा हुआ है जिसके पास अवैध तमंचा है। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर व्यक्ति को हिरासत में लिया गया तथा तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. कल्लू उर्फ धनप्रसाद पुत्र बाबूलाल प्रकाश निवासी निधवा पुखरी थाना गौरीहार जनपद छतरपुर (म0प्र0)।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 727/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. चौकी प्रभारी कालवनगंज श्री हरभजन सिंह
2. कां0 विवेकानन्द सिंह